



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 21.05.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 97/26 धारा 137(2)/74 बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 97/26 धारा 137(2)/74 बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट व 3(2)(V) SC/ST Act. में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. आकाश उर्फ काला पुत्र बिजेन्द्र उर्फ बिल्लू निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 20 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री सुरेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत
2. है०का० 396 नितेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत
3. का० 915 विवेक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 21.05.2026

थाना छपरौली ने जिला बदर 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर 01 जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम जागौस थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुनिल कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2- का0 511 धर्मेन्द्र कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।

3-रि0का0 363 अमन शर्मा थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 21.05.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक ट्रक जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए प्रतिबन्धित 10 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

जनपद बागपत में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से एक ट्रक न0-(PB13BL7264) में क्रूरतापूर्वक भरे हुए प्रतिबन्धित 10 पशु बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 322/2026 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम व 5(क)/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. जाकिर पुत्र रऊफ निवासी ग्राम सौरम थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 32 वर्ष
2. मुन्तियाज पुत्र अख्तर निवासी ग्राम बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली उम्र 49 वर्ष ।



बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरे हुए प्रतिबन्धित 10 पशु ।
- एक ट्रक न0- (PB13BL7264)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अंकित कुन्तल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 821 सोनू कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 650 योगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



BAGHPAT POLICE



थाना बिनौली साइबर टीम , जनपद बागपत

-मई- 2026

थाना बिनौली साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा माह मई-2026 में आवेदक/पीडित से ऑनलाइन धोखाधड़ी की धनराशि कुल -13953/- रुपये वापस कराये गये-

आवेदक/पीडित श्री ब्रहम सिंह पुत्र रामचन्द निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन 13,953 रुपये की धोखाधड़ी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर दर्ज करायी, जिसका ACK. N0- 33105260112109 है, शिकायत प्राप्त होने पर **थाना बिनौली साइबर टीम** द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी। पीडित के बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि 13953 रुपये को वापस कराया गया।



आवेदक को रुपये वापस मिलने पर आवेदक/पीडित द्वारा थाना बिनौली पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र०सं०	नाम थाना	प्रा०पत्र सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	बिनौली	33105260112109	13,953 रुपये

आवेदक/पीडित को रुपये वापस कराने वाली टीम:-

- 1-प्र० नि० श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली बागपत
- 2-उ०नि० श्री अश्वनी कुमार थाना बिनौली बागपत
- 3-है०का० 801 सावन कुमार थाना बिनौली बागपत
- 4-है०का० 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली बागपत



**प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना रमाला**

दिनांक 21-05-2026

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 23/2026 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 5j(ii)/6 पोक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 23/2026 धारा धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 5j(ii)/6 पोक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहित पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 सन्नवर अली थाना रमाला बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना रमाला बागपत ।
- 3-रि0का0 178 हरेन्द्र कुन्तल थाना रमाला बागपत ।

